[redacted]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 19/2015

अपीलांट

1. सकीया पुत्र छोगाजी
2. गलबा पुत्र छोगाजी
3. जमना बेवा छोगाजी
4. नाथीया पुत्र मानाजी के मका
   4/1 श्रीमति ढेपीदेवी पत्नी नाथाजी उम्र 66 वर्ष
   4/2 निम्बाराम पुत्र नाथाजी, उम्र 43 वर्ष
   4/3 सोनाराम पुत्र नाथाजी, उम्र 39 वर्ष.
   4/4 सेका पुत्री नाथाजी, उम्र 36 वर्ष
5. कनीया पुत्र मानाजी, समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. जोईता पुत्र मूपाजी फौत के कायम मुकाम वारिसान
   1/1 लसुदेवी पत्नी जोईता, जाति भांबी, निवासी बिबलसर, तहसील व जिला जालोर।
   1/2 लेहरी पुत्री जोईता पत्नी खेताजी, निवासी सुमेरगढ खेडा, तहसील व जिला जालोर
   1/3 लीला पुत्री जोईता पत्नी मीठाजी, जाति भांबी, निवासी देवाडा, तहसील व जिला जालोर
   1/4 फैन्सी पुत्री जोईता पत्नी मकाराम, जाति भांबी, निवासी रामसीन, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर
   1/5 मिनी पुत्री जोईता पत्नी ओटाजी, जाति भांबी, निवासी सिवणा, तहसील व जिला जालोर
2. हरजीराम पुत्र मुपाजी
3. रताराम पुत्र मुपाजी
4. धनीया पुत्र मुपाजी के कायम मुकाम वारिसान
   4/1 प्रकाश पुत्र धनीया
   4/2 रमेश पुत्र धनीया
   4/3 कसु बेवा धनीया समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर
5. गिलाराम पुत्र चुनाराम
6. रमेश कुमार पुत्र चुनाराम
7. सुबटी बेवा चुनाराम
8. दरगाराम पुत्र मुलाजी
9. सदाराम पुत्र कपुराराम

11. जेपाराम पुत्र कपुराराम समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29/01/2021

1. अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/04 बउनवान जोईताराम बनाम सकीया में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्यां 01 लगायत 04 ने अपीलांटगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिबलसर में स्थित पुराने खसरा नंबर 138 नवीन खसरा नंबर 847, 848, 849, 850, 852, 945, 946, 947 कुल रकबा 6.43 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

3. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत वाद का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये, उसके पश्चात बावजूद सम्मन तामिल गैर हाजिर रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत तरीके से नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्मन प्राप्त होने पर अपीलांट नाथीया पुत्र मानीया द्वारा अपने विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने हेतु दिनांक 05.11.2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं लिया गया एवं न ही उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के नोटिस विधिवत तरीके से तामिल करवाये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

4. नाथीया व अन्य अपीलांटगण के विरूद्ध वाद संख्या 56/04 के साथ वाद संख्या 54/04 व 55/04 भी प्रस्तुत किये गये थे, उक्त समस्त वादो में अपीलांटगण के सम्मन विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पर्चा लगान प्रदर्श-3 में सरहद मौजा बिबलसर के साबिका खसरा नंबर 138 रकबा के लिये पर्चा लगान जारी किया गया है जो कि संवत 2008 में प्रथम बंदोबस्त के समय जारी किया गया तथा उक्त पर्चा लगान कपूरा, मूला पिसरान पदमा एवं मानीया वल्द सदा कौम भांबी जो अपीलांटगण के पिता है के नाम जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेजी प्रदर्श नहीं करवाया गया, जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 के पक्ष में विवादित डिक्री पारित की जा सके। वादग्रस्त आराजी प्रथम बंदोबस्त के समय से ही अपीलांटगण के पिता माना पुत्र सदा के नाम रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श-3 पर्चा लगान जिसमे मानीया पुत्र सदाजी का ही नाम इन्द्राज होते हुए भी प्रदर्श-3 की अनदेखी करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 के पिता मूपला पुत्र सदा मात्र मानाजी का भाई होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 को वादग्रस्त आराजी में जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा खातेदार घोषित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 ने अपीलांटगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिबलसर में स्थित पुराने खसरा नंबर 138 नवीन खसरा नंबर 847, 848, 849, 850, 852, 945, 946, 947 कुल रकबा 6.43 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

7. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर समस्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। समस्त प्रतिवादीगण बावजूद तामिल सम्मन के गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त पक्षकारो को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

8. वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी आराजी है, किन्तु प्रथम सेटलमेट के दौरान वादग्रस्त आराजीयात में मूपला व मानीया पुत्र सादला की बजाय मात्र मानीया वल्द सादा दर्ज किया गया, जबकि मूपला व मानीया दोनो सगे भाई है। वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी में दोनो भाईयो का नाम दर्ज होना चाहिये था, किन्तु वक्त प्रथम सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी में केवल मात्र मानीया का नाम दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन करने के पश्चात जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

9. वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 ने अपीलांटगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा बिबलसर में स्थित पुराने खसरा नंबर 138 नवीन खसरा नंबर 847, 848, 849, 850, 852, 945, 946, 947 कुल रकबा 6.43 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी में से 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिसो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के नोटिस पूर्णतया विधिवत रूप से तामिल नहीं करवाये गये, जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं हो सका।

10. हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट पूर्व से मानीया का कब्जा काश्त होने के कारण वक्त प्रथम सेटलमेंट उक्त आराजी मानीया पुत्र सादा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी हो। वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट पूर्व से मानीया का कब्जा काश्त था, जिसके कारण वक्त प्रथम सेटलमेंट उक्त आराजी मानीया के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी पर संवत 2008 से पूर्व से ही मानीया व मूपला पिसरान सादा की सामलाती काश्त करने का अंकन करते हुए दावा प्रस्तुत किया, परन्तु इस संबध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इसके विपरित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पर्चा लगान प्रदर्श–11 में सरहद मौजा बिबलसर के साबिका खसरा नंबर 138 रकबा के लिये पर्चा लगान जारी किया गया है जो कि संवत 2008 में प्रथम बंदोबस्त के समय जारी किया गया तथा उक्त पर्चा लगान कपूरा, मूला पिसरान पदमा एवं मानीया वल्द सदा कौम भांबी जो अपीलांटगण के पिता है के नाम जारी किया गया है। जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेट से पूर्व से अपीलांट के पिता मानीया का कब्जा काश्त था, जिसके आधार पर वक्त प्रथम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी मानीया के नाम दर्ज की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजो को दरकिनार करते हुए केवल मात्र गवाहो के बयानो (ORAL EVIDENCE) के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 को अपीलांट की खातेदारी आराजी में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। इस संबध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने विनिर्णय 2015(2)R.R.T 1077 Jethdan vs Megha & Ors. में यह प्रतिपादित किया गया है कि "**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 88 व 188-घोषणा हेतु वाद-राजस्व अपील प्राधिकारी ने निर्णय व डिक्री अपास्त किया और वाद खारिज किया-संवत 2043 से 2046 के राजस्व रेकॉर्ड में भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज थी-रेकॉर्डेड खातेदारी मौखिक साक्ष्य व मौका रिपोर्ट के आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती-सेटलमेंट से अपीलाण्ट्स भूमि के कब्जे में है, साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की-निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी ने वाद खारिज करने और निर्णय व डिक्री अपास्त करने में त्रुटि नहीं की है।**" उक्त विनिर्णय में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर रेकर्डेड खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हो, जिससे वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी साबित हो या उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 के पूर्वज का सेटलमेंट से पूर्व कब्जा साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजो को दरकिनार करते हुए केवल मात्र गवाहो के बयानो (ORAL EVIDENCE) के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 को अपीलांट की खातेदारी आराजी में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/04 बउनवान जोईताराम बनाम सकीया में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2013 को अपास्त किया जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 19/2015

अपीलांट

1. सकीया पुत्र छोगाजी
2. गलबा पुत्र छोगाजी
3. जमना बेवा छोगाजी
4. नाथीया पुत्र मानाजी के मका

   4/1 श्रीमति ढेपीदेवी पत्नी नाथाजी उम्र 66 वर्ष

   4/2 निम्बाराम पुत्र नाथाजी, उम्र 43 वर्ष

   4/3 सोनाराम पुत्र नाथाजी, उम्र 39 वर्ष

   4/4 सेका पुत्री नाथाजी, उम्र 36 वर्ष
5. कनीया पुत्र मानाजी, समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. जोईता पुत्र मूपाजी फौत के कायम मुकाम वारिसान

   1/1 लसुदेवी पत्नी जोईता, जाति भांबी, निवासी बिबलसर, तहसील व जिला जालोर।

   1/2 लेहरी पुत्री जोईता पत्नी खेताजी, निवासी सुमेरगढ खेडा, तहसील व जिला जालोर

   1/3 लीला पुत्री जोईता पत्नी मीठाजी, जाति भांबी, निवासी देवाडा, तहसील व जिला जालोर

   1/4 फैन्सी पुत्री जोईता पत्नी मकाराम, जाति भांबी, निवासी रामसीन, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर

   1/5 मिनी पुत्री जोईता पत्नी ओटाजी, जाति भांबी, निवासी सिवणा, तहसील व जिला जालोर
2. हरजीराम पुत्र मुपाजी
3. रताराम पुत्र मुपाजी
4. धनीया पुत्र मुपाजी के कायम मुकाम वारिसान

   4/1 प्रकाश पुत्र धनीया

4/2 रमेश पुत्र धनीया

4/3 कसु बेवा धनीया समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर

5. गिलाराम पुत्र चुनाराम
6. रमेश कुमार पुत्र चुनाराम
7. सुबटी बेवा चुनाराम
8. दरगाराम पुत्र मुलाजी
9. सदाराम पुत्र कपुराराम
10. किशनराम पुत्र कपुराराम
11. जेपाराम पुत्र कपुराराम समस्त जातियान भांबी, निवासीगण बिबलसर, तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नैनसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/04 बउनवान जोईताराम बनाम सकीया में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2013 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नागिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली